



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ, 1942 (श०)

संख्या-126 राँची, बुधवार,

17 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

28 जनवरी, 2021

संख्या- 5/आरोप-1-85/2015 का० 589-- श्री उमेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-360/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुर, गुमला के विरुद्ध उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-1987/गो0, दिनांक 13.10.2005 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-‘क’ में श्री सिंह के विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये-

(i) विशुनपुर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में अपने पदस्थापन काल में जलधारा योजनान्तर्गत जिले से दिये गये 250 सिंचाई कूपों के लक्ष्य के विरुद्ध आपके द्वारा 300 कूपों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। आपके द्वारा जिला कार्यालय से दिये गये निदेशों की अवहेलना कर लक्ष्य के विरुद्ध अधिक योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिसके चलते राशि के अभाव में योजना लंबित रह गई।

(ii) इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत जिला स्तर से कुल लक्ष्य 28 निर्धारित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा जिला कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से 44 इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गई, जिसके कारण लक्ष्य के विरुद्ध अधिक योजनाओं स्वीकृत करने के फलस्वरूप राशि के अभाव में बहुसंख्यक योजनाएँ अधूरी रह गई।

(iii) विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित सिंचाई योजना अन्तर्गत जिला स्तर से आपको कोई लक्ष्य संसूचित नहीं किया गया था, परन्तु आपने अपने हठधर्मिता का परिचय देते हुए सभी सरकारी नियमों के उल्लंघन की सीमा पार करते हुए 67 कूपों के निर्माण की स्वीकृति देते हुए इसके लिए 70,000/- ₹0 का विचलन दूसरे मद से कर अग्रिम का भुगतान किया है, जो वित्तीय अनियमितता को प्रदर्शित करता है।

(iv) सरकार के द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सामग्री के क्रय के लिए जिला स्तरीय समिति गठित है एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित दर पर ही सामग्रियों की आपूर्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाना नियम संगत है, परन्तु आपके द्वारा अपने निजी लाभ एवं स्वार्थसिद्धी करने के नियत से सरकारी निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपने अधिकारी क्षेत्र से बाहर जाकर लाखों रुपये का सिमेंट क्रय किया गया, जिसके चलते सरकारी राशि का अनावश्यक रूप से दुरुपयोग हुआ है।

(v) आपके द्वारा अपने पदस्थापन काल में बिना जिला स्तर से आदेश प्राप्त किये ही श्री एतवा भगत, पंचायत सेवक को 50 वर्ष आयु सीमा पार किये जाने के पश्चात् उन्हें विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी आदेश पारित किया गया है। यह इस बात का द्योतक है कि आपने सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई है तथा अपने हठधर्मिता का परिचय दिया है तथा बिना क्षेत्राधिकार के उस अधिकार का इस्तेमाल किया, जो न तो आपको प्रदत्त था और न डेलिगेटेड था।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2096 दिनांक 11.04.2008 के द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-408/गो0, दिनांक 09.12.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में आरोप संख्या-5 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह के बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-1940, दिनांक 27.02.2012 द्वारा “दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक”, का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में रिट याचिका सं0- W.P.(S) No. 2685/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 27.03.2019 को पारित न्यायादेश में श्री सिंह पर अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त करते हुए उन्हें संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करवाते हुए द्वितीय कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया है।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2019 को पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री सिंह के विरुद्ध संकल्प सं0-1940, दिनांक 27.02.2012 द्वारा निर्गत दण्डादेश को विभागीय संकल्प सं0-5960, दिनांक 25.07.2019 द्वारा रद्द किया गया तथा इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में सम्परिवर्तित करते हुए पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने के बिन्दु पर कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय पत्रांक-6190, दिनांक 01.08.2019 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री सिंह के पत्र, दिनांक 22.08.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

(i) वे दिनांक 21.11.1988 से 01.05.1992 तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित थे एवं विभागीय संकल्प सं0-2096, दिनांक 11.04.2008 अर्थात् लगभग 16 वर्षों के बाद उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(ii) प्रपत्र-‘क’ में उनके विरुद्ध पाँच आरोप गठित किये गये, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा सिर्फ आरोप सं0-5, जिसमें उनके विरुद्ध अपने पदस्थापन काल में जिला स्तर से आदेश प्राप्त किये बिना ही श्री एतवा भगत, पंचायत सेवक को 50 वर्ष की आयु सीमा हो जाने के पश्चात् उन्हें विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी आदेश पारित किया गया था, से संबंधित आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

(iii) आरोप सं0-5 के संबंध में उनके द्वारा शुरू से ही कहा जा रहा था कि श्री भगत को परीक्षा के दायित्व से मुक्त करने संबंधी आदेश उनके द्वारा निर्गत नहीं किया गया था, किन्तु फिर भी उन पर आरोप सं0-5 प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

(iv) श्री एतवा भगत, पंचायत सेवक को विभागीय परीक्षा के दायित्व से मुक्त करने संबंधी आदेश की प्रति उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गई, फिर भी वे आरोप उनके विरुद्ध संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

(v) विभागीय कार्यवाही के वर्ष 2008 से फरवरी 2012 तक लंबित रहने के कारण उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में नहीं हो पाया।

श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई, समीक्षा में पाया गया कि यह सही है कि श्री एतवा भगत, पंचायत सेवक, विशुनपुर के 50 वर्ष की उम्र सीमा पूर्ण होने पर विभागीय परीक्षा के दायित्व से मुक्त करने संबंधी आदेश श्री सिंह को उपलब्ध नहीं कराया जा सका, किन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुर के पत्रांक-692, दिनांक 13.07.2011 के अवलोकन से

स्पष्ट है कि श्री उमेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुर के द्वारा ही श्री भगत, पंचायत सेवक का उम्र 23.08.1985 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर विभागीय हिन्दी, मुण्डारी परीक्षा से मुक्त किया गया है।

समीक्षोपरांत, श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए श्री सिंह के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत उनके पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने संबंधी दण्ड अधिरोपण पर माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-54, दिनांक 03.01.2020 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड के बिन्दु पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-37, दिनांक 05.01.2021 द्वारा श्री सिंह के पेंशन से 10 प्रतिशत राशि की कटौती 03 वर्षों तक किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है।

अतः श्री उमेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-360/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुर, गुमला के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री उमेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधितों को भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
